म0प्र0 शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ-25-18/2010/10-3/1432 भोपाल, दिनांक 29/05/2010

प्रति,

समस्त

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक

(मध्यप्रदेश)

विषय:– विश्रामघाट के लिये जलाऊ लकड़ी प्रदाय करने बावत् ।

संदर्भ:– 1. म0प्र0 शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/30/24/80/10–3 दिनांक 31.8.1989

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) का तार दिनांक 2.8.96

3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/उत्पा./का पत्र क्रमांक/निस्तार/80/267 दि. 18.1.2000

——00——

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसके द्वारा शमशान घाटों हेतु जलाऊ लकड़ी का प्रदाय किये जाने के संबंध में म.प्र. शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–7/22/93/10–3 दिनांक 20.8.96 के तारतम्य में शमशानघाट हेतु प्रचलित बाजार दर का 80 प्रतिशत या रायल्टी सहित कुल विभागीय व्यय दोनों में से जो भी अधिक हो के आधार पर फुटकर विक्रेताओं को प्रदाय किये जाने बाबत निर्देशित किय गया है। इसका व्यापक प्रसार प्रचार किया जावें कि विश्राम घाटों/शमशान घाटों से जलाऊ बाजार दर से सस्ते (80 प्रतिशत) दर पर प्रदाय की जाती है।

वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 30/24/80/10–3, दिनांक 31.8.1989 के द्वारा बाजार भाव को भी स्पष्ट किया गया और यह उल्लेख किया गया कि "बाजार भाव का अर्थ स्थान पर बिकने वाली जलाऊ लकड़ी की दर से है जहां विभाग द्वारा फुटकर विक्रेता को जलाऊ लकड़ी वितरण हेतु प्रदाय की जाती है।

जिलाध्यक्ष कार्यालय की खाद्य शाखा द्वारा प्रत्येक वस्तु का प्रचलित बाजार भाव दर्शाया जाता है। अत: जलाऊ लकड़ी की दर निर्धारण के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय की खाद्य शाखा द्वारा दर्शाये गये बाजार भाव मूल्य निर्धारण के लिये मान्य किया जाना चाहिये व बाजार भाव की पुष्टि भी जिलाध्यक्ष कार्यालय से कराना चाहिये।"

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) ने अपने पत्र क्रमांक/उत्पा./निस्तार/13/463 दिनांक 1.2.2010 द्वारा विश्रामघाटों पर पर्याप्त मात्रा में जलाऊ लकड़ी उपलब्ध रहने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये है उनका कड़ाई से पालन किया जावे :–

आपके वृत्त में कुल कितने विश्रामघाट है उनमें वर्ष भर में कितनी जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता होती है इसकी एक सूची रखी जाये। प्रत्येक विश्रामघाट समिति से चर्चा कर यह आंकलन करें कि कितनी जलाऊ लकड़ी की उन्हें पूरे वर्ष में आवश्यकता होती है। वह मात्रा वनमंडल में आरक्षित की जावें।

2.2 आपके वृत्त में कुल कितनी जलाऊ लकड़ी उत्पादित होती है यदि यह मात्रा विश्राम घाटों की आवश्यकता के लिये पर्याप्त नहीं है तो उसकी सूचना मुख्यालय को तत्काल भिजवाये इसके साथ ही अतिरिक्त मात्रा के लिये जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था यदि आपके आस पास के वृत्तों से की जा सकती है तो उसकी सूचना भी मुख्यालय का भिजवायें।

2.3 सतकठा जलाऊ लकड़ी का नीलाम तब तक नहीं किया जायें जब तक की पूरे प्रदेश में विश्रामघाटों के लिये उनकी आवयकता अनुसार पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था नहीं हो जाती है।

2.4 विश्रामघाटों को कम मूल्य पर जलाऊ लकड़ी का प्रदाय हो सकें इसके लिये आप जलाऊ लकड़ी सीधे कूप से ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर विचार करें। ताकि परिवहन तथा लोडिंग/अनलोडिंग पर अतिरिक्त व्यय नहीं होने से विश्रामघाटों पर कम दामों पर जलाऊ लकड़ी उपलब्ध हो सकेगी।

2.5 विश्रामघाटों के लिये पर्याप्त मात्रा में तथा कम दर पर जलाऊ लकड़ी उनकी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रहे इसकी पूर्ण जबावदारी संबंधित वन संरक्षक/पदेन वनमंडलाधिकारी की होगी।

3. कूपों से सीधे जलाऊ लकड़ी प्रदाय करने के संबंध में पत्र क्रमांक 1223 दिनांक 2.4.07 द्वारा निर्देश जारी किये गये है। बिन्दु क्रमांक–2 में लेख किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में दाह संस्कार आदि के लिये जलाऊ लकड़ी लगती हो तो उसके लिये भी चट्टे बनाये जायेगें।

4. आपके वृत्त क्षेत्रों में जितने भी विश्रामघाट है, उनके पिछले 3 वर्षों की खपत के आधार पर जलाऊ लकड़ी की औसत वार्षिक आवश्यकता का आंकलन कर, उससे 10 प्रतिशत अधिक मात्रा में जलाऊ लकड़ी का प्रदाय विश्रामघाटों को सीधे कूप से उपलब्ध करवाने की प्रायोगिक व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस व्यवस्था को इस प्रकार से नियंत्रण करें कि बरसात के समय भी विश्रामघाटों को उनकी आवश्यकता अनुसार जलाऊ लकड़ी मिलती रहें। यदि विश्रामघाट प्रबंधन द्वारा आरक्षित चट्टों को किसी भी कारण वश निर्धारित कूप से निर्धारित समय सारणी के अनुसार निकासी की कार्यवाही नहीं की जाती है, तो आरक्षित चट्टों को नीलाम/अन्य प्रकार से निर्वर्तन की कार्यवाही बाबत वनमंडलाधिकारी निर्णय लें।

5. कूप से विश्रामघाटों द्वारा सीधे निकासी की प्रायोगिक व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण रखा जावें। इस हेतु वनमंडलाधिकारी मासिक समीक्षा करेगें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आने पर अथवा नियंत्रण हीनता की स्थिति ज्ञात होने पर वनमंडलाधिकारी कूप से प्रदाय की व्यवस्था निरस्त कर पुनः डिपो से जलाऊ लकड़ी प्रदाय की व्यवस्था पुनः प्रारंभ करेगें। तथा इस बाबत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) को सूचित करेगें।

6. इस व्यवस्था की आवश्यकतानुसार समीक्षा एवं प्रभारी नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही संबंधित मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) द्वारा समय–समय पर की जावेगी। तथा मुख्यालय को भी निरंतर अवगत कराया जावेगा।

क्योंकि यह एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है इसलिये इस व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं आये तथा आम जनता को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पडे आप स्वयं हर तिमाही व्यवस्था का आंकलन करेगें। यदि इस व्यवस्था में किसी प्रकार का आपका सुझाव हो तो मुख्यालय को पूर्ण औचित्य सहित भिजवायें।

(वी**0**एन**0** पाण्डेय)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
वन विभाग, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक/एफ-25-18/2010/10-3/1433 भोपाल, दिनांक 29/05/2010

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग।
2. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश।
4. समस्त वन मण्डलाधिकारी क्षेत्रीय/उत्पादन, मध्यप्रदेश।

सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
वन विभाग, मंत्रालय भोपाल